

बिहार - सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन शाखा)
अधिघोषणा

पत्रांक...../भू-अर्जन,

दिनांक.....

चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि मौजा- विशनपुर, थाना न0-86 थाना- कजरा, जिला लखीसराय के अंचल सूर्यगढ़ा में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् कजरा थर्मल पावर स्टेशन निर्माण हेतु सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए एतद् द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ मौजा- विशनपुर, थाना न0- 86 थाना- कजरा, अंचल- सूर्यगढ़ा जिला- लखीसराय के अन्दर भूमि का एक भू-खण्ड गैरमजरूआ मालिक/बकास्त जो कि समाहर्ता द्वारा रैयती घोषित है अपेक्षित है, जो मानक माप से कमोवेश रकवा 23.66½ एकड़ के बराबर होता है।

जिसका अर्जनाधीन खेसरा निम्नांकित है :-

पूर्ण खेसरा:- 2963, 3447, 3471, 3528, 3561, 3599, 3643, 3648, 3724, 3725, 3726, 3756, 3653

जिसका निम्नांकित चौहदी के अन्दर है :-

उत्तर - 2964, 3448, 3034, 3520, 3565, 2944, सिमाना महरथपुर, सिमाना महरथपुर, 3652, सिमाना महरथपुर, 3723, 3723, 3758, 3652

दक्षिण - 2960, 3327, 3470, 3527, 3560, 3600, 3642, 3649, 3651, 3723, 3723, 3750, 3651

पूरब - 2961, 3442, 3473, 3525, 3668, 3601, 3645, 3686, 3652, सिमाना महरथपुर, 3723, 3723, 3762, 3652

पश्चिम - 2965, 3449, 3033, 3529, 3558, 3722, 3755, 3606, 3643, 3632, 3645, 3723, 3723

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़ने वाले कोयला, लोहा, पत्थर या अन्य खनिजों के खान की आवश्यकता नहीं है। किन्तु खानों एवं खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भू-अर्जन की जा रही है। इस निर्माण के लिए खोदने या हटाने या उपयोग में लाना आवश्यक हो तो ले लिये जायेंगे। यह घोषणा 1894 की धारा 6 और अधिनियम 1885 की धारा 3 के खण्ड (1) के उपबन्ध के अधिन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिसका इससे सम्बन्ध हो। भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन कार्यालय लखीसराय में देखा जा सकता है।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,
लखीसराय।

समाहर्ता,
लखीसराय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

६०

सरकार के उप सचिव/अवर सचिव।

ज्ञापक 2751 / भू-अर्जन,

दिनांक - 03-12-13

- प्रतिलिपि:-** निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय, बिहार-पटना को सी0डी0 सहित एवं तीन प्रारूप दो दैनिक समाचार पत्र जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो प्रकाशनार्थ प्रेषित। प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, लखीसराय को यथाशीघ्र उपलब्ध करा दी जाय।
- प्रतिलिपि:-** उप-समाहर्ता, प्रभारी सामान्य शाखा, समाहरणालय, लखीसराय को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। प्रकाशित गजट की पाँच प्रतियाँ जिला भू-अर्जन कार्यालय, लखीसराय को उपलब्ध करायी जाय।
- प्रतिलिपि:-** समाहर्ता, लखीसराय, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

9/12/13
जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,
लखीसराय।

समाहर्ता,
लखीसराय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

2/12/13
सरकार के सूच सचिव/अवर सचिव।